

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वयंसेवक नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (धार्मिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रघुचन्द्र खिड्डी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक. IS/ दिनांक. 27/06/2019

प्रार्थी रघुचन्द्र खिड्डी डा. 6 प्लॉट नं. 2 कमल सिटी डा. 6

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 सिटी डा. 6

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय प्लॉट नं. 2 कमल सिटी डा. 6

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश प्लॉट नं. 2 कमल सिटी डा. 6

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12437/- रु. 12437/-

जसिये रसोद संख्या 028/3334, 3325 रु. 028/3334, 3325

दिनांक 27/06/2019 को जमा करा दी है ।

रघुचन्द्र खिड्डी  
नगर निगम, जोधपुर

रघुचन्द्र खिड्डी  
गौतम नाथु  
सहायक नगर निगम अधिकारी  
नगर निगम, जोधपुर

रघुचन्द्र खिड्डी  
99290-98000

प्री +1  
आवासीय